झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)
अधिसूचना

अधिसूचनासंख्या :- 7 / प्र0फ0बी0यो0(रबी- 2016-17)-25 / 2016 सह0 2727 दिनांक 29/11/16

भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्रांक 13015 / 03 / 2016-Credit II, 13015 / 01 / 2016-Credit II दिनांक 23.02.2016 एवं 13015 / 03 / 2016-Credit II दिनांक 21.10.2016 द्वारा दिये गये प्रशासनिक स्वीकृति एवं दिशानिर्देशों तथा निबंधक,सहयोग समितियॉ, झारखण्ड, रॉची के अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2016 को सम्पन्न उप समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(PMFBY) के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में मौसम रबी- 2016-17के लिए गेंहूँ, आलू, राई-सरसों एवं चना (Wheat, Rapeseed & Mustard, Gram&Potato) फसलों को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

1. **योजना का कार्यक्षेत्र:-**

   झारखण्ड राज्य के सभी 24 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्षेत्रीय आधार पर लागू किया जाता है।

2 **फसल का चयन :-**

निम्न फसलों को योजना के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाता है :-

क्र0	फसल	बीमा इकाई
1.	गेहूँ (मुख्य फसल)	ग्राम पंचायत
2.	आलू, राई-सरसों एवं चना (गौण फसल)	प्रखण्ड

3. **शामिल किये जाने वाले कृषक :-**

   इस योजना में ऋणी, गैर ऋणी, काश्तकार एवं बटाईदार कृषक भाग ले सकते हैं।

   (क) अनिवार्य आधार पर :-वैसे सभी किसान जो अधिसूचित फसल उगा रहे हों और वित्तीय संस्थानों से जिनकी मौसमी कृषि फसल ऋण की सीमा रबी, 2016-17 हेतु 01.10.2016 से 31.12.2016 तक स्वीकृत / नवीनीकृत की गयी हो।

   (ख) स्वैच्छिक आधार पर :- अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो इस योजना में शामिल होने की इच्छा रखते हैं।

4. **जोखिम एवं अपवाद :-**

   भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका में वर्णित सभी प्रकार के जोखिमों जिसमें मुख्य रूप से बुवाई नहीं होने की स्थिति एवं खड़ी फसल (बुवाई से कटाई) के लिए व्यापक जोखिम बीमा, अनिरोध्य जोखिमों तथा फसल कटाई के पश्चात एवं स्थानीय आपदाओं के लिए व्यक्तिगत आधार पर होने वाली क्षति के लिए बीमा आवरण मुहैया किया जाएगा:-

जैसेः–

(क) प्राकृतिक रूप से आग लगना और बिजली का गिरना।

(ख) तूफान, ओला, चक्रवात, टाइफून, समुद्री तूफान, हरीकेन एवं टोरनेडो।

(ग) बाढ़, जल प्लावन एवं भूस्खलन।

(घ) सूखा, शुष्क अवधि।

(ङ) कृमि/रोग।

युद्ध एवं आणविक खतरों, शरारतपूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम से होने वाली क्षति को इससे बाहर रख जाएगा।

5. **बीमित राशि की सीमा :–**

ऋणी किसान हेतु :–

अधिसूचित फसलों हेतु प्रति हेक्टेयर जिलावार Scale of Finance के बराबर। (संलग्न)

गैर ऋणी किसान हेतु :–

अधिसूचित फसलों हेतु प्रति हेक्टेयर जिलावार Scale of Finance के बराबर। (संलग्न)

6. **प्रीमियम दर का निर्धारण :–**

योजनानुसार, भारत सरकार द्वारा चयनित बीमा कम्पनियों से आमंत्रित मुहरबंद सीमित वित्तीय निविदा के आधार पर प्रीमियम दर का निर्धारण किया गया है तथा संबंधित चार क्लस्टर (राज्य के सभी 24 जिले)

I. Cluster – 1 चतरा, दुमका, गिरिडीह, सरायकेला–खरसांवा, जामताड़ा, गुमला।

II. Cluster – II पूर्वी सिंहभूम, देवघर, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, साहेबगंज।

III. Cluster – III खूँटी, राँची, पलामू, हजारीबाग, गोड्डा, पाकुड़।

IV. Cluster – IV पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, कोडरमा।

Cluster – I के लिए प्राप्त L_1 बीमा कम्पनी, ICICI Lombard तथा Cluster – II, III एवं IV के लिए प्राप्त L_1 बीमा कम्पनी, Shriram General Insurance Co. Ltd. को मौसम रब्बी 2016–17 के लिए बीमा करने हेतु Implementing Agency के रूप में अधिकृत किया जाता है।

प्रीमियम गणना :–

योजनानुसार ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों द्वारा गेहूँ, राई–सरसों, एवं चना फसलों हेतु 1.5 (डेढ़) प्रतिशत प्रीमियम दर एवं आलू फसल के लिए 5 (पॉच) प्रतिशत प्रीमियम दर बीमित राशि पर देय होगी। जिलावार एवं फसलवार कुल प्रीमियम दर अनुलग्नक (I) के रूप में संलग्न है।

27727
29/11/16

7. **कवरेज हेतु अवधि का निर्धारण :–**

योजनानुसार मौसम रबी – 2016–17 के लिए कवरेज अवधि निम्नवत निर्धारित किया जाता है :–

(क) ऋणी किसान हेतु :– ऋण स्वीकृति / नवीकृत लाभ की अवधि 01.10.2016 से 31.12.2016 तक।

(ख) गैर ऋणी किसान :– शामिल होने हेतु अवधि 01.10.2016 से 31.12.2016 तक।

8. **नोडल बैंको द्वारा संबंधित बीमा कम्पनी के कार्यालय में प्रपत्र प्रेषित करने हेतु अंतिम तिथियाँ:–**

योजनानुसार प्रीमियम एवं घोषणा पत्र जमा करने का समय सभी कृषकों के लिए निम्न प्रकार है:–

वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंक एवं प्राईवेट बैंक	**ऋणी कृषक**	**15 / 01 / 2017**
	गैर ऋणी कृषक	**07 / 01 / 2017**

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 (मु0) एवं जिला सहकारिता पदा0, लातेहार / मेदिनीनगर (डाल्टेनगंज) / गढवा।	**ऋणी कृषक**	**22 / 01 / 2017**
	गैर ऋणी कृषक	**15 / 01 / 2017**

9. **पदनामित किये जाने वाले बैंक :–**

राज्य के सभी व्यवसायिक बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं प्राईवेट बैंक के कृषि ऋण आवंटन शाखा को पदनामित किया जाता है।

10. **प्रीमियम एवं अनुदान :–**

योजनानुसार, सभी ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों द्वारा भुगतेय 1.5 एवं 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि के अतिरिक्त वास्तविक प्रीमियम के पूर्ण भुगतान हेतु, प्रीमियम अनुदान स्वरूप राशि सरकार वहन करेगी, जिसमें 50 : 50 प्रतिशत का अनुपात क्रमशः केन्द्र एवं राज्य सरकार का होगा एवं कुल अनुमानित प्रीमियम अनुदान की 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान सरकार के द्वारा की जाएगी।

11. **थ्रेशहोल्ड उपज आँकड़ों की गणना : –**

योजनानुसार मार्गदर्शिका के पैरा –VI (7) में उल्लेखित फसलवार, इकाईवार पिछले 7 (सात) वर्षों के वास्तविक उपज आँकड़े के औसत (घोषित एवं अधिसूचित किये गये 2 (दो) आपदा वर्षो के वास्तविक उपज आँकड़ों को छोड़कर) एवं सभी चयनित फसलों के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति स्तर (80%) के गुणनफल के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

2727
29/11/16

12. <u>सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन</u> :–

योजनानुसार अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा **इकाईवार/फसलवार/ग्राम पंचायतवार, प्रखण्डस्तरीय, जिलास्तरीय, राज्यस्तरीय, वास्तविक उत्पादन आंकड़े एवं पृथक प्लॉटवार वास्तविक उत्पादन आँकडें फसल कटनी प्रयोग भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाईल ऐप (CCE Agri App) पर Smart Phone के माध्यम/आधार पर करते हुए भारत सरकार के Agri Insurance Portal पर सभी Survey Data** दिनांक – 30/04/2017 तक **Upload करेंगं एवं आच्छादित रकबा** Implementing Agency के क्षेत्रीय कार्यालय को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के माध्यम से दिनांक – 30/04/2017 तक उपलब्ध करायेंगे। जिसके आधार पर क्षति का आकलन किया जायगा तथा क्षतिपूर्ति बीमित किसानों को दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत फसलवार क्षतिपूर्ति का आकलन क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा।

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा फसलवार वास्तविक उत्पादन आंकड़ों एवं आच्छादित रकबा के प्रत्येक पन्नों पर निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर अनिवार्य एवं एकल श्रृंखला का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय संबंधित बीमा कम्पनी को उन्हीं आकड़ों को प्रेषित करेंगे जो कि भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं तथा ये आंकड़े एकल श्रृंखला प्रयोग पर आधारित होंगे। साथ ही अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय फसल कटनी प्रयोगों के लेखा संधारण को उचित जाँच एवं संतुलन के साथ सुदृढ़ करेगा।

योजनानुसार फसल कटनी प्रयोगों को प्रति इकाई क्षेत्र/प्रति फसल के अनुसार निम्न परिचालन मानदंड पर किया जाना है।

क्र0	बीमा के इकाई का आधार	न्यूनतम फसल कटनी प्रयोग
1.	जिला	24
2.	प्रखण्ड/तालुका/तहसील	16
3.	मंडल/फिरका/राजस्व अंचल/होबली तथा उनके समतुल्य अन्य इकाई	10
4.	ग्राम/ग्राम पंचायत	4 (मुख्य फसलों के लिए) 8 (अन्य फसलों के लिए)

योजनानुसार राज्य में रबी में मुख्य फसल गेहूँ के लिए बीमा ईकाई ग्राम पंचायत एवं गौण फसलों राई–सरसों, चना एवं आलू के लिए बीमा ईकाई प्रखंड निर्धारित है। ऐसी स्थिति में मुख्य फसल के लिए ग्राम पंचायत एवं गौण फसल के लिए प्रखंड स्तर हेतु निर्धारित फसल कटनी प्रयोग किए जाएंगे। कतिपय कारणों से ग्राम पंचायत एवं प्रखण्ड के लिए निर्धारित न्यूनतम क्रमशः 04 (चार) एवं 16 (सोलह)फसल कटनी प्रयोग संभव नहीं होने पर, फसलवार उस अधिसूचित इकाई के लिए उसके उच्च इकाई – ग्राम पंचायत हेतु प्रखण्ड एवं प्रखण्ड हेतु जिला स्तरीय वास्तविक उत्पादन आँकड़ों को आधार माना जाएगा।

2727
29/11/16

13. **ऋणी कृषकों के लिए नियमावली :–**

ऋणी कृषकों के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगाः–

(क) रबी 2016–17 मौसम में वैसे सभी कृषक जो अधिसूचित क्षेत्र में, अधिसूचित फसल उगा रहें हैं और वित्तीय संस्थानों, जैसे सहकारी, राष्ट्रीयकृत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको एवं प्राईवेट बैंको से अधिसूचित फसलों हेतु मौसमी कृषि प्रचालन के लिए ऋण स्वीकृत/नवीकृत हो एवं उनकी ऋण की सीमा दिनांक 01.10.2016 से 31.12.2016 के दौरान स्वीकृत/नवीकृत की गयी हो, आवरण के पात्र होंगे।

(ख) बैंक शाखा, मासिक फसलवार तथा अधिसूचित क्षेत्रवार व्योरे की विवरणी तैयार करेंगे तथा अपने नोडल शाखा को प्रीमियम की राशि व्योरे के साथ प्रेषित करेंगे। सभी नोडल बैंक शाखा अपने तहत सभी शाखाओं से प्राप्त प्रीमियम की राशि एवं विवरणों को समेकित कर घोषणापत्र एवं प्रीमियम की राशि ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से कण्डिका 9 में उल्लेखित तिथियों के अनुसार Implementing Agency के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को प्रेषित करेंगे।

(ग) अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों के लिए किसानों को बैंक जब कभी भी ऋण सीमा स्वीकृत करेगी, प्रीमियम (बीमा शुल्क) की राशि संबंधित किसानों के खाते से डेबिट करेगी तथा यह राशि अतिरिक्त ऋण के रूप में मानी जायेगी।

14. **गैर ऋणी कृषकों के लिए नियमावली :–**

गैर ऋणी कृषकों के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा :–

(क) कृषकों द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्णतः भरा जाय।

(ख) कृषक का किसी भी प्रकार का बैंक खाता चालू हो (लैम्पस/पैक्स का खाता मान्य नहीं होगा)।

(ग) कृषकों के प्रस्ताव पत्र के साथ राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत भूमि प्रमाण पत्र (नवीनतम) /रसीद (नवीनतम) एवं अभिप्रमाणित वंशावली की छायाप्रति संलग्न की जाय। काश्तकार, बटाईदार द्वारा पट्टा/संविदा भूमि प्रमाण पत्र (नवीनतम) के साथ प्रस्तावपत्र जमा की जाय। राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत भूमि प्रमाण पत्र (नवीनतम) तत्काल उपलब्ध नही होने की स्थिति में गैर–ऋणी कृषकों के संदर्भ में मुखिया/ग्राम प्रधान से सत्यापित वंशावलि एवं भूमि विवरणी के आधार पर भी उनके फसल का बीमा किया जा सकेगा।

(घ) फसलवार सर्वे संख्या, क्षेत्रफल, रकबा और फसल लगाने की प्रस्तावित तिथि/ फसल लगाने की तिथि प्रस्ताव पत्र में अंकित किया जाय।

2727
29/11/16

(ङ) प्रस्ताव पत्र एवं प्रीमियम की राशि स्वीकार करते समय वित्तीय शाखा/लैम्पस/पैक्स, बीमा शुल्क की राशि, बीमित राशि की सीमा, बीमित क्षेत्र आदि का व्यौरा सत्यापित करेंगे। तत्पश्चात ये वित्तीय शाखाएं/लैम्पस/पैक्स इन विवरणों को समेकित कर संबंधित नोडल बैंको को भेजेंगी। नोडल शाखा समस्त शाखाओं से प्राप्त विवरणी को क्षेत्रवार/माहवार/फसलवार समेकित कर तत्संबंधी प्रतिवेदन, घोषणा पत्र एवं प्रीमियम राशि को ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से कण्डिका 9 में उल्लेखित तिथियों के अनुसार Implementing Agency के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को प्रेषित करेंगे।

15. (क) वित्तीय संस्थाएँ समस्त ऋणी तथा गैर ऋणी आच्छादित कृषकों की सूची जिसमें – कृषक का नाम, कृषक की आयु, पिता/पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत, प्रखण्ड, बैंक खाता संख्या, कृषक श्रेणी–लघु एवं सीमान्त/अन्य, महिला/पुरूष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य, आच्छादित रकबा, बीमित राशि एवं किसान द्वारा देय प्रीमियम का विवरण निश्चित प्रपत्र में फार्मर पोर्टल पर बीमा लेने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपलोड (UPLOAD) करेंगी। साथ ही साथ राज्य सरकार एवं कार्यान्वयक अभिकरण सभी जरूरी जानकारियों एवं आंकडों को Web Portal - www.agri-insurance.gov.in में Upload करेगी। सहकारी बैंको के द्वारा Web Portal - www.agri-insurance.gov.in में आंकडों के Upload करने की जिम्मेवारी संबंधित बैंको के प्रबंध निदेशक एवं पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिलों के लिए Implementing Agency की होगी जिसके लिए संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। साथ हीं साथ इस प्रक्रिया में डाटा इण्ट्री ऑपरेटर के खर्चों का वहन उपलब्ध कराये गये बैंक सेवा शुल्क की राशि से किया जाएगा।

(ख) **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की विवरणी** : – योजनानुसार किसानों की विवरणी निम्न प्रपत्र में दोनों रूपों में – सत्यापित हार्ड कॉपी एवं उसकी सॉफ्ट कॉपी बैंकों (व्यवसायिक, ग्रामीण एवं सहकारी) द्वारा Implementing Agency को उपलब्ध करायेंगे ताकि विभाग को ये आँकड़े ससमय उपलब्ध उपलब्ध कराया जा सके।

पी॰एम॰एफ॰बी॰वाई॰

<u>प्रपत्र</u>

राज्य.................जिला...................मौसम...............वर्ष..............बैंक..............................शाखा........
....

किसान का नाम	मोबाईल नं0	पिता का नाम	उम्र	लिंग	समुदाय (ST/SC/सामान्य)	आधार नं0	UID प्रकार (आधार/पैन/पास्पोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र/अन्य)	UID नं0	किसानों की श्रेणी (छोटे सीमांत/अन्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अधिसूचित क्षेत्रवार उप योग									
कुल योग									

किसान की श्रेणी (ऋणी या गैर ऋणी)	किसानों का प्रकार (भूस्वामी/बटाईदार/काश्तकार)	राज्य	जिला	प्रखण्ड	पंचायत	ग्राम	पिन कोड	पता	बैंक आई0डी0
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ब्रान्च कोड	खाता प्रकार (बचत/ऋण)	बैंक खाता संख्या	नामांकित व्यक्ति का नाम	नामांकित व्यक्ति की उम्र	नामांकित व्यक्ति का पता	मौसम (खरीफ/रब्बी)
21	22	23	24	25	26	27

2727
29/11/16

योजना (PMFBY/ WBCIS)	सेन्सस ग्राम	सर्वे प्लांट संख्या	फसल	क्षेत्र (हेक्टे0)	बुवाई की तिथि	प्रीमियम	बैंक ट्रान्जेक्शन संख्या
28	29	30	31	32	33	34	35

- अधिसूचित स्तर – प्रखण्ड/ग्राम पंचायत स्तर पर उप योग के साथ सूचना प्रदान की जानी चाहिए।
- बैंक द्वारा इस फॉर्म में दी गई सूचना का हर पहलू किसी भी माध्यम से अर्थात् ऑफलाईन/ऑनलाईन में प्रस्तुत जानकारी के साथ आवश्यक रूप से समान/एकरूपता होनी चाहिए।
- बैंक द्वारा घोषणापत्रवार जमा प्रीमियम "संग्रहित कुल प्रीमियम" कॉलम के लिए आवश्यक रूप से समानता एवं एकरूपता होनी चाहिए।

16. सभी संबंधित सहकारी बैंको/वाणिज्यिक बैंको/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा माहवार/फसलवार/इकाईवार (जिलावार/प्रखण्डवार/पंचायतवार) घोषणा पत्र की दो प्रतियों में ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के प्रीमियम का ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अलग–अलग Implementing Agency को जमा करेंगे।

17. **क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया:–**

योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल के नुकसान का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

(क) बुवाई नही हो पाने की स्थिति/बुवाई का फेल हो जाना (Prevented Sowing/Sowing Failure) (क्षेत्र आधारित):–

योजनानुसार यह आवरण केवल मुख्य फसल गेहूँ के लिए लागू होगी। मार्गदर्शिका के पारा XIII के अनुसार फसल बुवाई अवधि के दौरान, अल्पवृष्टि अथवा अन्य मौसम कारकों के विपरीत प्रभाव के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित मुख्य फसल गेंहूँ की बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति में बीमा राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत तक का दावा भुगतान किया जा सकता है, यदि किसी संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल की बुवाई की जाने वाले क्षेत्रफल में से 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल पर बुवाई नहीं होती है। इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आँकड़ों, दूसरे मौसमी आँकड़े, सेटेलाईट इमेज, जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रेषित फसल अवस्था आँकड़े

(Crop Condition Report),एवं अधिसूचित फसल के इकाईवार आच्छादन के आँकड़ों को आधार माना जायेगा। इस संबंध में Media Reports के विवरणों पर भी विचार किया जाएगा। मौसम के आँकडों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केन्द्रों अथवा राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित अन्य मौसम केन्द्रों जैसे –Jharkhand Space Application Center (JSAC) अथवा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची द्वारा लगाये गये स्वचालित मौसम वैधशाला (AWS) के आँकडों को आधार माना जाएगा। इस संबंध में गेहूँ फसल हेतु इकाई ग्राम पंचायतवार Automatic Weather Station के साथ Tagging कर आँकड़ों को आधार बनाया जाएगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जायगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत दावा भुगतान के पश्चात संबंधित इकाई क्षेत्र में किसान उपज आधारित दावा के लिए योग्य नहीं होंगे। राज्य सरकार द्वारा फसलवार अधिसूचित इकाई जहाँ बुवाई फेल हो गयी है, चिन्हित एवं नामित किया जाना आवश्यक है तथा राज्य सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।उक्त स्थिति यदि 20 दिसम्बर, 2016 के पूर्व होती है तो ही उपरोक्त प्रावधानों को सम्मलित किया जायेगा। वैसे सभी किसान इस बीमा के पात्र होंगे जिन्होंने उक्त तिथि तक कण्डिका 14 एवं 15 में उल्लेखित नियमावली के अनुसार प्रीमियम जमा किया है। क्रियान्वयक अभिकरण राज्य सरकार से जरूरी सभी आँकड़ों के प्राप्ति, प्रीमियम अनुदान की प्राप्ति (केन्द्र एवं राज्य सरकार) एवं इस संबंधी अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् संबंधित योग्य क्षतिपूर्ति भुगतान करेगी। वैसे अधिसूचित इकाई जिसे राज्य सरकार द्वारा बुवाई के फेल के लिए चिन्हित एवं नामित किये जाते हैं उन अधिसूचित इकाईयों में आगे की बीमा आवरण स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा नवीन बीमा आवरण नहीं किया जाएगा।

फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण :–

मार्गदर्शिका के पारा XII के अनुसार यदि फसल की अवधि (Crop Duration) में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे – बाढ़, लम्बी सूखे की दशा, भयंकर सूखा आदि होता है एवं प्रभावित फसल का अनुमानित उपज थ्रेशहोल्ड उपज के 50 प्रतिशत से कम है तो सम्भावित क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत तक दावा का भुगतान रबी 2016–17 मौसम के दौरान किया जा सकता है।यह क्षतिपूर्ति भुगतान की राशि, अंतिम उपज आधारित क्षतिपूर्ति राशि के साथ समायोजित की जायगी। यदि उक्त स्थिति सामान्य फसल कटाई प्रारंभ अवधि 15 मार्च, 2017 के 15 दिनों के पूर्व (अर्थात् 1 मार्च, 2017 से 15 मार्च, 2017 तक) होती है, तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी। इस तरह की क्षतिपूर्ति का भुगतान संबंधित राज्य सरकार एवं बीमा कम्पनी मिलकर (Jointly) भारत सरकार की सहमति से निर्धारित करेंगी। इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आँकड़ें

2727
29/11/16

उपग्रह चित्रण अथवा अन्य प्रॉक्सी संकेतों जैसे वर्षापात आँकड़े, तापमान, आर्द्रता, दूसरे मौसमी आँकड़े, सेटेलाईट इमेज एवं जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी द्वारा प्रेषित फसल अवस्था आँकडे को आधार माना जाएगा। इस संबंध में Media Reports के विवरणों पर भी विचार किया जाएगा। मौसम के आँकडों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केन्द्रों अथवा राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित अन्य मौसम केन्द्रों जैसे –Jharkhand Space Application Center (JSAC) अथवा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची द्वारा लगाये गये स्वचालित मौसम वैधशाला (AWS) के आँकड़ों को आधार माना जाएगा। फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति के निर्धारण हेतु Mahalanobis National Crop Forecast Centre (MNCFC) के जानकारियों एवं Services का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जायगा।

क्षतिपूर्ति आँकलन हेतु सूत्र :–

$$\text{देय क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{थ्रेशहोल्ड उपज} - \text{अनुमानित उपज}}{\text{थ्रेशहोल्ड उपज}} \times \text{किसान की बीमित राशि} \times 25\%$$

वैसे कृषकों को ही फसल की अवधि में हुए नुकसान की भरपाई उपरोक्त के अनुसार प्राप्त होगी जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी Mid Season Adversity (MSA) के पूर्व प्रीमियम जमा किया हो।

(ख) **फसल पैदावार के आधार पर/व्यापक आपदा के मामले में (क्षेत्र आधारित) :–**

योजनाानुसार राज्य सरकार फसल पैदावार के अनुमान के लिए अधिसूचित बीमा इकाई में सभी अधिसूचित फसलों के लिए फसल कटाई प्रयोग योजना के मार्गदर्शिका के पैरा XI में उल्लेखित अपेक्षित संख्या नियोजित तथा आयोजित करेगी। राज्य सरकार फसल उत्पादन अनुमानों तथा फसल बीमा दोनों के लिए फसल कटाई प्रयोगों तथा परिणात्मक पैदावार अनुमानों की एकल श्रृंखला (General Crop Estimation Surveys-GCES)तैयार करेगी। इस तरह फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर क्षति का निर्धारण होगा।

क्षतिपूर्ति आँकलन हेतु सूत्र :–

$$\text{देय क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{थ्रेशहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेशहोल्ड उपज}} \times \text{किसान की बीमित राशि}$$

(ग) <u>स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति का आँकलन</u> :–

मार्गदर्शिका के पारा XV के अनुसार स्थानीय जोखिमों यथा – ओलावृष्टि, भूस्खलन एवं जलप्लावन के मामलों में यदि किसी प्रभावित इकाई (अगहनी धान–ग्राम पंचायत एवं भदई मकई–प्रखण्ड स्तर) में 25 प्रतिशत से ज्यादा इकाई क्षेत्र में हानि होती है तो सैम्पल जाँच कर उस इकाई में सभी बीमित कृषकों को क्षति भुगतान की जाएगी। यदि किसी प्रभावित इकाई (अगहनी धान – ग्राम पंचायत एवं भदई मकई–प्रखण्ड स्तर) में 25 प्रतिशत से कम इकाई क्षेत्र में हानि होती है तो उस सभी प्रभावित बीमित किसानों के नुकसान की जाँच की जाएगी, जिन्होंने इसकी सूचना कार्यान्वयक अभिकरण, जिला कृषि पदाधिकरी/जिला सहकारिता पदाधिकरी एवं बैंक को 48 घंटे के अन्दर लिखित रूप दी हो। इन स्थानित जोखिमों के कारण जिन किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/कार्यान्वयक अभिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि पदाधिकरी/जिला सहकारिता पदाधिकरी को तत्काल एवं अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अन्दर लिखित रूप से बीमित फसल के व्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। हानि संबंधी सूचना मिलने पर कार्यान्वयक अभिकरण फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार Pay out निर्धारित किया जाएगा। प्रखण्ड स्तरीय, जिला स्तरीय कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में कार्यान्वयक अभिकरण की उपयुक्त सहायता करेंगे।

(ङ.) <u>फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण (Post Harvest Losses)</u> :–

मार्गदर्शिका के पारा XIV के अनुसार प्राकृतिक आपदायें यथा चक्रवात, चक्रवाती बारिश तथा बेमौसमी बारिश के मामलों में यदि किसी प्रभावित इकाई (गेहूँ–ग्राम पंचायत एवं आलू, चना एवं राई/सरसो–प्रखण्ड स्तर) में 25 प्रतिशत से ज्यादा बीमित इकाई क्षेत्र में हानि होती है तो सैम्पल जाँच कर उस प्रभावित इकाई में सभी बीमित कृषकों को क्षति भुगतान की जाएगी। यदि किसी प्रभावित इकाई (गेहूँ–ग्राम पंचायत एवं आलू, चना एवं राई/सरसो–प्रखण्ड स्तर) में 25 प्रतिशत से कम बीमित इकाई क्षेत्र में हानि होती है तो उन सभी प्रभावित बीमित किसानों के नुकसान की जाँच की जाएगी, जिन्होंने इसकी सूचना कार्यान्वयक अभिकरण, जिला कृषि पदाधिकरी/जिला सहकारिता पदाधिकरी एवं बैंक को 48 घंटे के अन्दर लिखित रूप दी हो।इस व्यवस्था के अन्तर्गत, Crop Calendar (संलग्न Annexure - II) में अंकित फसल कटाई की निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार, उस तिथि से यदि कटी हुई अधिसूचित फसल, अधिकतम 14 दिनों तक सूखने के लिए फैलाकर रखी जाती है तो इसी अवधि तक के लिए हीं उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति का आँकलन

2727
29/11/16

किया जाएगा। इन जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/क्रियान्वयक अभिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि पदाधिकरी/जिला सहकारिता पदाधिकरी /जिला प्रशासन को तत्काल एवं अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अन्दर लिखित रूप से बीमित फसल के व्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण एवं सर्वे संख्या, फसल क्षेत्र सहित सूचित करेंगे। हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयक अभिकरण फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी। प्रखण्ड स्तरीय, जिला स्तरीय कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में कार्यान्वयक अभिकरण की उपयुक्त सहायता करेंगे। प्रॉक्सी संकेतों, स्थानीय मिडिया रिर्पोटों, कृषि/राजस्व विभाग के रिपोर्टों को क्षति आँकलन का आधार बनाया जाएगा।

18. <u>योजना के अनुसार संयुक्त समिति गठन हेतु</u> :–

योजनानुसार, फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण, स्थानीय आपदाओं की स्थिति में व्यक्तिगत क्षति का निर्धारण एवं फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में व्यक्तिगत नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण के आकलन हेतु संयुक्त समिति का गठन किया जाता है ताकि किसानों को उचित एवं ससमय क्षतिपूर्ति दी जा सके।

(क) फसल अवधि में हुए नुकसान के आँकलन के लिए संयुक्त समिति –राज्य सरकार के जिलावार नामित पदाधिकारी– उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला राजस्व पदाधिकारी एव कार्यान्वयक अभिकरण (IA)।

(ख) फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में व्यक्तिगत नुकसान के आँकलन के लिए संयुक्त समिति –प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के अध्यक्षता में प्रखण्ड कृषि अधिकारी, कार्यान्वयक अभिकरण (IA), संबंधित कृषक।

(ग) स्थानीय आपदाओं में व्यक्तिगत क्षति के आँकलन के लिए संयुक्त समिति –उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला कृषि अधिकारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी कार्यान्वयक अभिकरण (IA), संबंधित कृषक।

19. <u>प्रॉक्सी संकेतों एवं स्वचालित मौसम केन्द्रों का चिन्हितीकरण एवं नामितीकरण</u> :–

योजनानुसार, Mid Season Adversity एवं Sowing Failure के परिप्रेक्ष्य में क्षतिपूर्ति के आँकलन के लिए प्रॉक्सी संकेतों एवं अन्य आँकडों जैसे – वर्षापात्, तापमान, आर्द्रता, सेटेलाइट इमेज एवं दूसरे मौसमी आँकडे भारतीय मौसम विभाग, झारखण्ड राज्य स्पेश ऐपलिकेशन सेन्टर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित मौसम केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।साथ हीं साथ यदि इन

मौसम केन्द्रों से आँकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आवश्यक्तानुसार बैक–अप मौसम केन्द्रों की व्यवस्था किया जाएगा।

अगहनी धान फसल की इकाई ग्राम पंचायत एवं भदई मकई फसल की इकाई प्रखण्ड निर्धारित है अतएव चिन्हित मौसम केन्द्रों की टैगिग ग्राम पंचायतवार एवं प्रखण्डवार की जाएगी।

20. योजनानुसार किसी भी अधूरे प्रस्ताव पत्र/घोषणा पत्र या त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव पत्र/घोषणा पत्र को निरस्त करने हेतु बीमा कम्पनी स्वतंत्र होगी।

21. यद्यपि फसल बोने की इच्छा होने पर कृषक अपने सम्भावित फसल का बीमा ले सकता है, पर उसे योजनानुसार फसल का नाम बदलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह बदलाव किसान अंतिम तिथि 15.12.2016 तक ही कर सकते हैं।

22. <u>उत्पादकता के आँकडों एवं आच्छादित रकबा का प्रेषण :–</u>

योजना के तहत अधिसूचित फसलों का इकाईवार – पंचायतवार, प्रखण्डवार, जिलावार वास्तविक उपज आँकडें 30 अप्रैल, 2017 तक योजना के मार्गदर्शिका के पैरा संख्या –XI के अनुसार क्रियान्वयक अभिकरण को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा।

Crop Calendar के अनुसार राज्य में अधिसूचित फसलों के बुवाई अवधि के 2 महीनों के अन्दर फसलवार, इकाईवार, बुवाई क्षेत्र, उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि भविष्य में होने वाले आच्छादित रकबे में उत्पन्न हो सकने वाले अनियमितताओं को समाप्त किया जा सके। साथ ही सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जरूरी कदम उठाये जाएंगे ताकि एक ही भूमि पर बीमा आवरण की दोहरायी नहीं हो सके।

योजनानुसार, बुवाई क्षेत्र में होने वाली अनियमितताओं को कम करने हेतु निम्न बिंदुओं का अनुपालन आवश्यक होगा :–

(क) वर्त्तमान बुवाई क्षेत्र की तुलना फसलवार एवं इकाईवार पिछले तीन वर्षों के राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये बुवाई क्षेत्र के औसत से तुलना कर बुवाई क्षेत्र से अधिक बीमा आवरण के रूप में माना जाएगा एवं उसी अनुपात में बीमित राशि की न्यूनता की जाएगी एवं क्षतिपूर्ति की गणना की जाएगी।

(ख) यदि राज्य में प्लॉट/सर्वे संख्या के Digital आँकडे तथा GIS Platform पर उपलब्ध हों तो Satellite छायांकण के माध्यम से व्यक्तिगत प्लॉट की बुवाई क्षेत्र संबंधी आँकडे लिए जाएंगे।

(ग) इस परिपेक्ष्य में न्यूनता (Scale Down) की गयी बीमित राशि से संबंधित कृषकों द्वारा दी गयी प्रीमियम राशि एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रीमियम अनुदान की राशि को

27727
23/11/16

भारत सरकार को वापस की जाएगी ताकि उस राशि को केन्द्र सरकार द्वारा Technology / Research / Impact Assessment इत्यादि के लिए उपयोग किया जा सके।

23. **बैंक सेवा शुल्क :–**

योजनानुसार, वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रेषित कुल प्रीमियम (Farmer's Share) पर 4 प्रतिशत के दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा एवं इसी राशि का 50 प्रतिशत लैम्पस / पैक्स को सेवा शुल्क के रूप में गैर ऋणी कृषकों के बीमा करवाने हेतु भुगतान किया जाएगा।

24. मार्गदर्शिका के अनुसार पैरा –XVI में उल्लेखित सभी शर्तों के पूरा होने एवं भारत सरकार तथा राज्य सरकार के प्रीमियम अनुदान के प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा योग्य क्षतिपूर्ति निर्गत की जाएगी तथा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होने के पश्चात वित्तीय संस्थानों द्वारा एक सप्ताह के अन्दर संबंधित धन राशि कृषकों के खातों में क्रेडिट करते हुए लाभान्वित कृषकों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगायी जाएगी तथा इसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ 15 दिनों के अन्दर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में बीमा कम्पनी को प्रेषित करेंगे।

25. **जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन :–**

इस योजना का जिला स्तर पर अनुश्रवण कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या 568 दिनांक 04.03.2016 द्वारा गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पाक्षिक / मासिक प्रगति की संसूचित क्षेत्रवार विस्तृत समीक्षा करेगी तथा योजना में अधिक से अधिक कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करेगी। फसल की स्थिति, बैंको द्वारा बीमा आच्छादन तथा फसली ऋण की स्थिति पर पाक्षिक / मासिक प्रगति समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची तथा प्रतिलिपि सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित करेंगी और यह समिति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं बहुउद्देशीय कर्मियों की इस योजना में पूरी सहभागिता हेतु प्रभावी निर्देश निर्गत करेंगे।

26. योजनानुसार, उपायुक्त जिले के राजस्व, कृषि, सांख्यिकी, सहकारिता एवं राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से फसल कटनी के प्रयोगों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करायेंगे तथा इस संदर्भ में जिला स्तर पर फसल कटनी की समय–समय पर समीक्षा भी करेंगे। साथ ही साथ फसल कटनी प्रयोगों के फसलवार, इकाईवार कार्यक्रम / सारणी (schedule) क्रियान्वयक अभिकरण को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड, रॉची द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के प्रारम्भ होने से लगभग 30 दिनों पूर्व उपलब्ध करायी जाएगी।

क्रियान्वयक अभिकरण के प्रतिनिधियों को फसल कटाई प्रयोगों में सहभागिता एवं इस तरह के प्रयोगों के स्थलीय निरीक्षण तथा प्रारूपों को देखने की अनुमति होगी।

फसल कटनी प्रयोगों का Digitization किया जाएगा जिसमें फसल कटनी प्रयोग के स्थान की अक्षांश एवं देशांतर स्थिति, समय एवं दिनांक का छाप, फोटो के साथ प्रत्येक प्रयोगों के लिए आवश्यक होगी।

वैसे इकाईयों की उत्पादन आँकड़े जो सामान्य से अत्यधिक कम अथवा ज्यादा हों के संदर्भ में क्रियान्वयक अभिकरण राज्य सरकार के सहयोग से सेटेलाईट छायांकण द्वारा Normalized Difference Vegetation Index इत्यादि द्वारा उत्पादन आंकडों की पुष्टि कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की विषमताएं प्रतीत होती हैं तो केन्द्र के Technical Advisory Committee (TAC) के पास इसे भेजा जा सकता है एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।

27. भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा योजना के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में इस योजना अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिसूचित फसलों हेतु ऋण लेने वाले समस्त कृषकों को अनिवार्य रूप से आच्छादित किया जाएगा। अतः वित्तीय संस्थानों द्वारा उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

28. राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक्तानुसार दिशानिर्देश निर्गत किया जा सकेगा।

29. योजना का प्रचार–प्रसार एवं किसान जागरूकता अभियान Implementing Agency के द्वारा बडे पैमाने पर चलाया जाएगा।

30. योजनानुसार, मौसमी कृषि प्रचालन ऋण स्वीकृति/वितरण तथा प्रस्ताव पत्र/घोषणा पत्र एवं किसानों द्वारा प्रीमियम जमा किये जाने मात्र से हीं बीमा का आवरण सुनिश्चित नहीं होता है जब तक की किसान फसल लगाने की चेष्टा/इच्छा नहीं रखता है एवं Insurable Interest नहीं हो।

31. योजना के अन्य प्रावधानों, जो सर्वमान्य तथा पालन करने योग्य हैं, भारत सरकार के द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशिका के निदेशानुसार पालन किये जायेंगे।

(signature) 29/11/2016

(डॉ नितिन मदन कुलकर्णी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक – 7/प्र0फ0बी0यो0(रबी – 2016–17)–25/2016 सह0 2727 दिनांक 29/11/16

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरंडा रॉची को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित एवं अनुरोध है कि उसकी 100 प्रतियॉ विभाग को भी उपलब्ध करावें।

(signature) 29/11/2016

(डॉ नितिन मदन कुलकर्णी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक –7 / प्र0फ0बी0यो0(रबी – 2016–17)–25 / 2016 सह0 2727 दिनांक 29/11/16
प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याणविभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली / मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / सचिव, योजना सहवित्त विभाग, झारखण्ड राँची / सचिव, राजस्व एवं निबंधन, भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची / निदेशक, योजना सह वित्त विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)झारखण्ड, राँची / निदेशक कृषि, कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड, राँची / निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, झारखण्ड, राँची / निदेशक, झारखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर, झारखण्ड, राँची / प्रशासक / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड सहकारिता बैंक लि॰, राँची / निदेशक, "समेति", झारखण्ड, राँची / सरकार के सभी संबंधित विभाग एवं सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / निदेशक, शिक्षा एवं विस्तार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय,झारखण्ड, राँची / सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड / संयुक्त निबंधक, (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची / मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड, राँची / सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची / एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली / / एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची / संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटी, झारखण्ड, राँची / सभी उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड / सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला कृषि पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,झारखण्ड / सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ,झारखण्ड / प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, राँची / देवघर / राज्य के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक / राज्य के सभी प्राईवेट बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय / आंचलिक कार्यालय / नेशनल सैम्पल सर्वे ऑरगानाईजेशन,झारखण्ड / प्रभारी पदाधिकारी, आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जी0आई0सी0, रॉची / श्रीराम जेनेरल ईंश्योरेंस कंपनी लि0, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(डॉ नितिन मदन कुलकर्णी)
सरकार के सचिव

PMFBY - Rabi 2016-17				Annexure - I			
Sl. No.	**District**	**Cluster No.**	**L1 Insurance Agency**	**Crop-wise Premium rates (%)**			
				Wheat	**Gram**	**Mustard**	**Potato**
1	Chatra	Cluster - I	ICICI Lombard	5.00	9.00	5.92	5.61
2	Dumka	Cluster - I	ICICI Lombard	5.00	4.93	7.19	20.00
3	Giridih	Cluster - I	ICICI Lombard	5.00	5.08	5.06	12.89
4	Saraikela	Cluster - I	ICICI Lombard	5.00	6.76	5.85	32.00
5	Jamtara	Cluster - I	ICICI Lombard	5.00	4.93	4.93	5.03
6	Gumla	Cluster - I	ICICI Lombard	5.00	5.75	5.17	5.00
7	E. Singhbhum	Cluster - II	Sriram Insurance Co.	17.16	3.15	4.11	35.36
8	Deoghar	Cluster - II	Sriram Insurance Co.	8.41	2.29	15.50	8.06
9	Simdega	Cluster - II	Sriram Insurance Co.	12.42	2.29	9.67	11.17
10	Lohardaga	Cluster - II	Sriram Insurance Co.	2.98	2.29	8.72	3.67
11	Garhwa	Cluster - II	Sriram Insurance Co.	4.88	3.36	3.86	3.52
12	Sahebganj	Cluster - II	Sriram Insurance Co.	8.58	2.29	8.43	4.13
13	Khunti	Cluster - III	Sriram Insurance Co.	5.00	3.00	4.50	5.00
14	Ranchi	Cluster - III	Sriram Insurance Co.	4.50	3.00	14.00	3.00
15	Palamu	Cluster - III	Sriram Insurance Co.	3.80	3.00	3.00	3.00
16	Hazaribagh	Cluster - III	Sriram Insurance Co.	3.00	3.00	9.00	3.00
17	Godda	Cluster - III	Sriram Insurance Co.	8.00	9.00	4.00	4.00
18	Pakur	Cluster - III	Sriram Insurance Co.	4.00	3.00	3.00	4.50
19	W. Singhbhum	Cluster - IV	Sriram Insurance Co.	3.88	7.24	5.46	53.58
20	Latehar	Cluster - IV	Sriram Insurance Co.	8.55	5.24	2.89	7.11
21	Bokaro	Cluster - IV	Sriram Insurance Co.	8.52	6.28	8.68	13.53
22	Dhanbad	Cluster - IV	Sriram Insurance Co.	9.04	2.29	29.12	27.54
23	Ramgarh	Cluster - IV	Sriram Insurance Co.	5.88	2.29	2.29	21.03
24	Kodarma	Cluster - IV	Sriram Insurance Co.	3.95	2.29	16.17	4.91

Annexure- II

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम रब्बी 2016–17 में अधिसूचित किये जाने हेतु चयनित फसलों के लिए फसल चक्र (Crop Calendar) की विवरणी

क्र0सं0	फसल का नाम	बुआई का समय	कटाई/कोड़ाई का समय
1.	गेहूँ	15 नवम्बर से 20 दिसम्बर	15 मार्च से 10 अप्रैल
2.	राई/सरसों	20 अक्टुबर से 20 नवम्बर	01 फरवरी से 15 फरवरी
3.	चना	10 नवम्बर से 30 नवम्बर	10 फरवरी से 10 मार्च
4.	आलू	25 अक्टुबर से 15 नवम्बर	28 फरवरी तक

Scale of Finance in Rs. Per heqtare For Rabi 2016-17

Sl. No.	Name Of District	Wheat	Gram	Rapeseed-Mustard	Potato
1.	Ranchi	52761	41061	29899	142696
2.	Khunti	50285	40030	24463	119596
3.	Lohardaga	55350	41266	30888	141341
4.	Gumla	52960	45894	31516	136642
5.	Simdega	52761	41061	29899	142696
6.	Jamshedpur	52761	41061	29899	142696
7.	Chaibasa	52761	41061	29899	142696
8.	Saraikela	52148	39274	29551	141040
9.	Latehar	35758	30555	23610	122800
10.	Palamu	55538	43786	31508	143811
11.	Garhwa	43345	41056	28199	134537
12.	Hazaribagh	52761	41061	29899	142696
13.	Ramgarh	52761	41061	29899	142696
14.	Koderma	52409	40813	29350	142495
15.	Chatra	52761	41061	29899	142696
16.	Giridih	52423	40250	25750	142358
17.	Bokaro	59860	39721	39536	152584
18.	Dhanbad	55578	39834	32426	149891
19.	Dumka	52760	41061	29898	142666
20.	Jamtara	51891	42007	29652	133434
21.	Deoghar	52929	27725	27725	105858
22.	Sahebganj	52761	41061	29899	142696
23.	Godda	42254	32123	25451	95010
24.	Pakur	54033	43181	30323	142696

Sd/-